FROM No.III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं S.D.O. मुकाम बायतु

डालूराम बनाम हुकमाराम वगैरा

किस्म मुकदमा रा० का० 111,128 RCRAct नं. 142/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29/06/2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री पूनमाराम चौधरी ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 111,128 RCRAct राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 23/07/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
23/07/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण के नोटिस तामिल शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थीगण बावजूद तामिल अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई विप्रार्थीगण स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ लिहाजा उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। फल. वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 25/08/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
25/08/2020	प्रार्थी वकील उपस्थित। विप्रार्थीगण अनुपस्थित। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया की प्रार्थी व विप्रार्थीगणों की शामलाती भूमि लगती हुई है जो संशामिल [illegible] विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 15:49:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
आवेदन/2020/5
आवेदन संख्या –142
प्रार्थी
श्री कालूराम पुत्र जगमा
जाति–जाट निवासी–मा
बरवाला, तहसील

प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेतों के बीच जो पुरानी मांडे व डोले आये हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गये है। जिससे प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की सीमाओं का सही ज्ञान नहीं हो पा रहा है। इसलिए प्रार्थी व विप्रार्थीगणों के मध्य खेत के सेढो को लेकर हमेशा विवाद रहता है। जिस कारण प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों की पक्की नेथमबन्दी करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी का नेथमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेथमबन्दी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेथमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बायतु को कमिश्नर व सम्बन्धित भू० अभिलेख निरीक्षक को सहायक कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या सहायक कमिश्नर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेथमबन्दी मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।

विवेक व्यास

सहायक कलक्टर (SDO)
बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 15:49:16 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान–सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बायतु जिला बाड़मेर

ंक / आवेदन / 2020 / 549 दिनांकः– 25/08/2020

स्व आवेदन संख्या –142 / 2020

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
श्री कालूराम पुत्र जगमालराम जाति–जाट निवासी–माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		श्री हुकमाराम पुत्र जगमालराम वगैरा 11, निवासी–माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128, 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

आदेश

प्रार्थी के खातेदारी खेत मौजा–निम्बाणियों की ढाणी, पटवार मण्डल–माडपुरा बरवाला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर खेत खसरा नम्बर 750 / 531 रकबा 15.8240 हैक्टेयर की भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहें एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकार है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान / नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार बायतु को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमिशनर स्वयं या सहायक कमिशनर से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमिशनर शुल्क 500 /– जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबंधित थानाधिकारी से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

क्रमांक / आवेदन / 2020 / 550-554 दिनांकः– 25/08/2020

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार, बायतु।
2. पटवारी हल्का, माडपुरा बरवाला को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थीगण श्री कालूराम पुत्र जगमालराम।
4. विप्रार्थीगण श्री हुकमाराम पुत्र जगमालरामवगैरा 11।
5. थानाधिकारी, पुलिस थाना, नागाणा।

25-8-2020

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.09.11 15:49:16 IST
Reason: SelfAttested